

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	पौष 26, शुक्रवार, शके 1947- जनवरी 16, 2026 Pausa 26, Friday, Saka 1947- January 16, 2026	

भाग 1 (क)

नियुक्तियों, छुट्टियों आदि के संबंध में समस्त विज्ञप्तियों।

कृषि(ग्रुप-2)विभाग

अधिसूचना

जयपुर, जनवरी 07, 2026

संख्या प.4(5)कृषि/ग्रुप-2/2025 :-जैसा कि राज्य सरकार द्वारा राजस्थान कृषि उपज विपणी अधिनियम, 1961 की धारा 3 के तहत अधिसूचना क्रमांक प.10(45)कृषि/ग्रुप-2/1985 दिनांक 02.06.2017 के द्वारा कृषि उपज मण्डी समिति, मालपुरा के क्षेत्र में से समस्त नगरपालिका क्षेत्र टोडारायसिंह एवं पंचायत समिति क्षेत्र टोडारायसिंह की समस्त ग्राम पंचायतों को पृथक कर एक नई कृषि उपज मण्डी समिति टोडारायसिंह के नाम से स्थापित किये जाने के आशय की घोषणा करते हुये उक्त अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना क्रमांक प.10(45)कृषि/ग्रुप-2/1985 दिनांक 23.05.2022 के द्वारा उक्त क्षेत्र को शामिल करते हुये स्वतंत्र कृषि उपज मण्डी समिति, टोडारायसिंह की घोषणा की गई थी।

अधिनियम की धारा 6 व 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के प्रयोग के लिए अधिसूचित कृषि उपजों के क्रय-विक्रय के नियमन हेतु राज्य सरकार कृषि उपज मण्डी समिति, टोडारायसिंह का नियमन करती है तथा इस कृषि उपज मण्डी समिति को “द” श्रेणी में वर्गीकृत करती है।

अब राज्य सरकार उपरोक्त अधिनियम की धारा 7 (1) (ख) के अन्तर्गत पृथक मण्डी समिति का गठन करती है और धारा 7 की उपधारा (1) (ख) एवं धारा 7 (2) (ब) के अन्तर्गत उक्त मण्डी समिति में निम्नांकित सदस्यों का मनोनयन करती है:-

कृषक वर्ग:-

1. श्री महावीर प्रसाद धाकड़ पुत्र श्री रामनारायण धाकड़ पता लक्ष्मीपुरा धाकड़ान
2. श्री श्रवण लाल चौधरी पुत्र श्री नारायण जाट, पता लाखोलाई (बावडी)
3. श्री हरिशंकर चौधरी पुत्र श्री नादूलाल चौधरी, पता मान्दोलाई
4. श्री हंसराज गुर्जर पुत्र श्री कालूराम गुर्जर, पता रलावता
5. श्री किमतराम मीणा पुत्र श्री मनोहर लाल मीणा, पता दण्ड लक्ष्मीपुरा
6. श्री गोपाल बैरवा पुत्र श्री बजरंग लाल बैरवा, पता माधोगंज

व्यापारी वर्ग:-

1. श्री अरुण कुमार सर्राफ पुत्र श्री अमोलक चन्द सर्राफ, पता टोडारायसिंह

सहकारी विपणन सोसायटी:-

1. श्री सरदार गुर्जर पुत्र श्री करणाराम गुर्जर, पता खेडुल्याखुर्द

स्थानीय निकाय:-

1. श्री जगदीश प्रसाद सैनी पुत्र श्री श्योजीराम सैनी (पार्षद), पता टोडारायसिंह

राज्य सरकार द्वारा नामित:-

1. श्री जितेन्द्र सिंह राजावत पुत्र श्री रामसिंह राजावत, पता सुखनिवासपुरा

विधानसभा का सदस्य:-

1. श्री कन्हैयालाल, माननीय विधायक, मालपुरा-टोंक

उपरोक्त अधिनियम के अभिप्राय के लिए अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत उपरोक्त मण्डी क्षेत्र के लिए एक मण्डी स्थापित करने के लिए वांछना कृषि उपज मण्डी समिति, टोडारायसिंह से की जाती है।

उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (2) उस तारीख से प्रभावी होगी जिससे कि उपरोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) के अन्तर्गत मण्डी यार्ड की घोषणा की जायेगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

स्नेह लता हारीत,

शासन उप सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।